न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।
उपस्थितः संध्या चौधरी, {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे०ओ० कोडः–यू0पी0 6161)
****
UPST010017822026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–570/2026

अंकित कुमार पुत्र छंगू कोरी, निवासी ग्राम रामगंज, थाना संग्रामपुर, जिला अमेठी

. .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या 40/2026
अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना अमेठी, जनपद अमेठी।

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. संक्षिप्त में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.2026 की रात में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के खेत में लगे नलकूप के इंजन को चुरा ले गये तथा अभी तक काफी तलाश किया, किन्तु कुछ पता नहीं चला। इंजन सं0 फल 246037, 10एचपी फील्ड मार्शल कम्पनी का है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अभियोग में झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त उक्त के द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया।

6. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा भारत यादव द्वारा अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.02.2026 को सह–अभियुक्तों के साथ मौके से पकड़ा गया एवं अभियुक्त उपरोक्त के पास से 250 रूपया बरामद हुआ तथा मौके से एक अदद छोटा हाथी मैजिक चार पहिया तथा दो अदद नलकुप इंजन बरामद हुए, परन्तु उक्त तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। गवाहों को डराये/धमकाये जाने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर, अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अंकित कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/– रू0 (पचास हजार रूपये) का स्वबंध पत्र व समान राशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

sd/-
(संध्या चौधरी)
09–03–2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।

रोहित कुमार,
आशुलिपिक